

N.D.H.:02.12.2025

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025**

**IN THE MATTER OF :**

VINAY SHRIVASTAVA

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. &amp; ORS

.....RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of Respondent No.13 and 23 M/s B.T. Infra Private Limited with affidavit	1 - 8
2.	<b><u>ANNEXURE R-1</u></b> A true copy of the Letters of intent issued in favour of the Respondent for the said two leases dated 09.01.2025	9 - 11
3.	<b><u>ANNEXURE R-2</u></b> A true copy of the Letters of intent issued in favour of the Respondent for the said two leases dated 27.12.2024	12 - 16

**Place:** New Delhi**Date:** 21.11.2025

Filed by:-


**(GAURAV AGARWAL)**

Advocate for Respondent No.13 &amp; 23

GRV LEGAL  
Advocates and Legal Consultants  
O-703, Aditya Mega City,  
VaibhavKhand, Indirapuram,  
Ghaziabad, U.P. NCR- 201014  
Mob.: 8802911392  
Email. : [gaurav@grvlegal.in](mailto:gaurav@grvlegal.in)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 09 OF 2025

**IN THE MATTER OF :**

**VINAY SHRIVASTAVA**

.....APPLICANT

VERSUS


**STATE OF U.P. & ORS.**

.....RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 13 AND 23  
M/S B.T. INFRA PRIVATE LIMITED

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

1. That the instant Original Application is pending before this Hon'ble Tribunal wherein the Applicant has challenged the DSR for District Hamirpur prepared in year 2024 on the ground that is has been prepared without conducting the replenishment study.



That the Applicant herein has sought a relief of quashing and setting aside the (i) District Survey Report 2024 for District Hamirpur, U.P., (ii) advertisement dated 09.11.20024 for e-tender cum e-auction of mining lease, (iii) direction to State for conducting the replenishment study and (iv) to restrain them from auctioning the area for sand mining or granting the mining lease.

**PRELIMINARY OBJECTION**


3. That the answering Respondent is a holder of LOI for two leases, i.e (i) Tehsil Sarila, Vill Billgaon, 1/1 Khand No. 01 area 15 hct. and (ii) Tehsil Sarila, Vill. Chandwari Dariya, Khand no. 26/7 Gata No. 01, 11/1, area 29.930 hct. The

## 2

LOIs for the aforesaid leases was issued to the answering Respondent on 09.01.2025 and 27.12.2024 and consequently, it has also deposited the requisite amount of advance royalty. A true copy of the Letters of intent issued in favour of the Respondent for the said two leases dated 09.01.2025 is ANNEXURE R-1 and A true copy of the Letters of intent issued in favour of the Respondent for the said two leases dated 27.12.2024 is ANNEXURE R-2

4. That the Original Application is based on incorrect, false and misleading facts. The Applicant herein has sought relief from the Hon'ble Tribunal, primarily against the DSR for year 2024 alleging that it was prepared without the replenishment study for year 2023. The other relief sought are merely consequential to the main prayer. However, in light of the replies filed by the state respondents the issue regarding the replenishment study before preparing the DSR 2024 does not survives.

5. That the affidavit dated 03.03.2025 filed by the District Magistrate, Hamirpur clearly mentions that firstly the Sub Division Committee has made assessment on the basis of the data collected in year 2022 for assessment, thereafter, in addition comprehensive field visits were conducted in year 2023, observing replenishment in all mining areas and that the said information was incorporated in the revised DSR for 2024. It is categorically stated in the said affidavit that *replenishment study for all mining areas in District Hamirpur was conducted and completed by Sub Divisional Committee in the year 2023. The geo co-ordinates of all mining area have been explicitly recorded in DSR.*




6. That during the hearing on 05.03.2025 this Hon'ble Tribunal recorded the statement of the Mines Officer, Hamirpur, Mr. Vikas Singh Parmar that the replenishment study pre and post monsoon was conducted in year 2023 before preparation of DSR 2024. Thus, the Hon'ble Tribunal directed the SEAC and SEIAA to place the report of replenishment study.
7. That pursuant to the direction of this Tribunal SEIAA placed the copy of the report of replenishment study with its affidavit dated 24.03.2025. The perusal of the said report evidents and belies the contention of the applicant that no replenishment study was conducted in year 2023 by before the preparation of the DSR 2024.
8. That the said replenishment report for year 2023 provides for 119 leases existing and proposed as compared to 69 leases shown in the replenishment study in year 2022. The said 119 leases coincides with the leases referred to in the DSR 2024. Hence, there is no illegality in the publication of the impugned e-tender cum e-auction notices as well as consequential process of auction and grant of LOI.
9. That the grievance of the Applicant pertaining to the absence of replenishment study prior to preparation and approval of the DSR 2024 does not remains survives in light of the above submitted facts. There has been no violation of the SSGM 2016 or EMGSM 2020 guidelines in preparation of the DSR 2024 by the State as evident from their replies/affidavits on record. Hence, the challenge to the e-




tender notice or the auction proceedings is without any legal basis and unsustainable.

10. That so far as the allegations of the absence of geo-coordinates for the proposed mining sites in DSR is concerned, it is reiterated that the same is incorrect, false and misleading. The DSR 2024 clearly provides for the geo-coordinates for each of the mining sites along with the name of the village, tehsil and district.
11. That it is lastly submitted that there has been no grant of the mining lease as yet by the State as the tender process is a very initial stage and at present LOI has been granted. The execution of mining lease will take place only after the grant of the EC to the answering Respondent, which is likely to take sometime. The permitted mineable quantity will depend upon the Environment Clearance. Thus, the present original application seeking a relief against the grant of mining lease to the answering Respondent is premature.
12. That it is further mentioned that in the affidavit filed by the District Magistrate, Hamirpur it is annexed at page 610 the letter which was issued by Secretary, State of U.P. dated 1705.2023 to all the District Magistrates in the State directing for conducting the replenishment study for updatation of the DSR. The said order clearly directs that a committee appointed in chairmanship of the Addl. District Magistrate shall review the DSR in light of the replensihment study and the draft DSR shall be sent for approval and the same shall be uploaded on Mine Mitra Portal by mines officer. Thus, in light of the said direction it is incorrect and false to submit that no replenishment study



was done and the DSR was prepared and forwarded in absence thereof.

13. That in the reply submitted by the SEIAA, SEAC at page 802 consists of the table no. 7.1 which shows the replenished volume of RBM in 2023. The said table provides the details of replenishment for all the 119 mines in the district and the same is in consonance with the DSR.
14. That the SEIAA pursuant to the clarification by MOEF& CC on 04.12.2023 that the DSR shall be approved by it, prepared a SOP dated 02.02.2024 for preparation and approval of DSR which is provided at page 487 of the affidavit of the District Magistrate, Hamirpur. It was pursuant to the same the DSR was prepared by the SDC for 119 leases in May 2025 and was uploaded on portal for 30 days as well as public notice was published inviting for any objections/ suggestions, but none received (pr. 13 of the affidavit of DM). Thus, raising a dispute against DSR at this stage is also a abuse of process of law, apart from the fact that the entire case is false.
15. That it is pertinent to mention here that in first meeting of SEAC held on 24.09.2024, it was observed that earlier DSR showed 194 leases while present DSR showed 119 lease. Hence, reason for large no of lease being dropped was called for. It was submitted in reply (page 724) by mining department that in earlier DSR of 2017 there were 183 leases wherein in year 2023, 10 more leases were added. Thus, totaling up 194 leases. In recent DSR 110 earlier



## 6

leases were included while 9 new leases were added, thus totaling upto 119 leases. The reason for the removal was that **out of 84 old leases 77 were found to not having adequate mineral, while 7 were removed due to construction of bridges etc.** This fact shows and evident that replenishment study was done prior to preparation of DSR 2024, else there was no reason to remove 77 old leases where there was not adequate replenishment.

16. That, thereafter, the joint meeting of SEAC-1 and SEAC-2 was held on 10.10.2024, which made certain recommendations for the DSR for Hamirpur. Pursuant to that on 25.10.2024 the SEIAA approved the DSR subject to certain conditions. The condition no. 8 at page 496 further fortifies that the DSR was based and prepared on replenishment study as it stated:



“8. Replenishment study on the basis of which mineral availability is assessed should be uploaded on websites of District and Mining Department Uttar radish and submitted to SEIAA along with methodology adopted for study and details like geo-co-ordinates etc. of study points.”

17. That the condition acknowledging the preparation of DSR on basis of replenishment study proves that the study was done, though not placed on record as there was no such requirement in law or any direction to do the same as on the date of approval of the DSR. Thus, the allegations in the present OA are false and incorrect and liable to be rejected.

18. That in the light of the reply/objections made in the preceeding paragraphs of this affidavit, Original Application of the Applicant deserves to be dismissed without any relief.

M/S B.T. INFRA PRIVATE LIMITED  
(Respondent No. 13 and 23)

Through

  
(GAURAV AGARWAL)

Advocate for Respondent no. 13 & 23

GRV LEGAL

Advocates and Legal Consultants

O-703, Aditya Mega City,

VaibhavKhand, Indirapuram,

Ghaziabad, U.P. NCR- 201014

Mob.: 8802911392

Email. : [gaurav@grvlegal.in](mailto:gaurav@grvlegal.in)



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO.09 OF 2025



**IN THE MATTER OF:**

VINAY SHRIVASTAV

....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH  
& ORS.

....RESPONDENTS

**AFFIDAVIT**

I, MEENU GUPTA, aged about 49 years, W/o of Shri Anand Kumar Gupta, R/o Village Maharajpur, Kanpur Nagar, District Kanpur, Uttar Pradesh- 209402, do hereby state on solemn affirmation as under:-

1. That the deponent is the Director of the Respondent No.13 and 23 in the present Original Application as such I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and hence, competent to swear this affidavit.

2. That I have gone through the accompanying Reply from para 1 to 18 and say that the contents thereof are true and correct to the best of my knowledge and belief and I believe the same to be true.

3. That the Annexures R-1 to R-2 to the reply are true copy of the documents.

Solemnly affirmed on this      day of November, 2025 at Kanpur, U.P.

*मीनू गुप्ता*

DEPONENT

**VERIFICATION :**

Verified at Kanpur, U.P. on this      day of November, 2025 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

*मीनू गुप्ता*

DEPONENT

Sworn before me this day of .....  
by Shri. ....  
Contents of this affidavit have been  
read over and explained who is duly  
identified Sr. ....

A.K. Tiwari (Advocate)  
Govt. Notary, Kanpur (U.P.)

*18-11-25*



## कार्यालय जिलाधिकारी, Hamirpur

(खनन-अनुभाग)  
खनन पट्टा हेतु सहमति पत्र (Letter of Intent)



**MINE MINTRA**

पत्रांक: LOI/2025/1/09-01-2025 00:00:00/445963

दिनांक: 09-01-2025

उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम २३ के अंतर्गत खनन पट्टा के सहमति पत्र से सम्बंधित।

### निविदाकर्ता का संक्षिप्त विवरण

निविदाकर्ता का नाम	B T INFRA HEIGHTS PRIVATE LIMITED (mstc/B T INFRA HEIGHTS PRIVATE LIMITED/487861)
निविदाकर्ता का पता	MAHARAJPUR, KANPUR NAGAR
निविदाकर्ता का मोबाइल न०	7007965494
खनन पट्टा की अवधि	60 माह अथवा मात्रा जो पहले पूर्ण हो।

### भूमि का विवरण

एरिया कोड	जनपद	तहसील	ग्राम/मोहल्ला	गाटा (प्लॉट) संख्या	क्षेत्रफल/मात्रा
1540300201	Hamirpur	Sarila	विलगाव - 154030	1/1 Khand no 01	15.0000 हे० / 240000.00 घन मी०

### देय धनराशि

अनुज्ञात उपखनिज	अनुज्ञात मात्रा	उच्चतम बिड दर (₹)	प्रथम वर्ष की देय धनराशि (₹)	अर्नेस्ट मनी (प्रथम वर्ष की देय धनराशि का 25%) (₹)	प्रथम वर्ष की प्रथम किस्त (प्रथम वर्ष की देय धनराशि का 20%) (₹)	प्रीबिड समायोजित अवशेष धनराशि (₹)	देय DMF (₹)	देय TCS (₹)	अन्य
Morrum	240000.00 घन मी०	1479.00	354960000.0000	88740000.0000	70992000.0000	150732000.00	7099200.00	1419840.00	0.00
		कुल	354960000.0000	88740000.0000	70992000.0000	150732000.00	7099200.00	1419840.00	0.00

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त देय धनराशि ३ कार्य दिवस के अंदर जमा करा कर चानान की मूल प्रति, upminemitra.in पोर्टल पर अपने लॉगिन से अपलोड करें ताकि आपको नियमानुसार खनन पट्टा निर्गत करने की कार्यवाही की जा सके।

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

## सहमति पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

- सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बंधनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि 20 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। प्रस्तावक द्वारा बयाने की जमा धनराशि (अर्न्वेस्ट मनी) को प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
- पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष बिगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
- पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिसमें सीमा विन्दुओं का जी.ओ.-कोऑर्डिनेट्स भी दर्शित किया जायेगा) तथा नियम-36 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा तथा उसका अन्वक्षण करेगा।
- चयनित आवेदक नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिमूचना दिनांक-14.09.2006 सपटित अधिमूचना दिनांक-15.01.2016 तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय अध्यामन की धनराशि निर्धारित रीति में जमा करेगा।
- लेटर आफ इन्टेन्ड जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि के जमा होने के प्रमाण पत्र सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त से अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सशम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- नियम-35 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया जाता है या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृत हेतु आवेदन नहीं किया जाता है, तो रु0-रुम हजार प्रतिदिन की शास्ति के लिये रायी होगी। शास्ति की धनराशि जमा करने में विफल होने पर उम धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के मापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से कटौती की जायेगी यदि प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करने में विफल हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट आशय पत्र निरस्त करने के पश्चात् प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी प्रथम किश्त और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जप्त कर लिया जायेगा।
- पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।
- पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आवश्यक विभाग का टी0सी0एम0, जिला खनिज फाउण्डेशन न्याम (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
- यदि कि प्रस्तुत अभिलेख कूटचित पाये जाने की दशा में लेटर आफ इन्टेन्ड (सटमति पत्र) निरस्त कर दिया जायेगा और बयाने की धनराशि/अर्न्वेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जप्त कर ली जायेगी।
- राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारक को मान्य होगा।
- अतिरिक्त शर्तें
- पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक में तीन माह के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करेगा और तन्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थान किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दृष्टापूर्ण रीति के कुशल कारीगर की भांति करेगा।
- पट्टेदार नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर नियगनी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार मी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टेदार उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के मापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और मुद्रित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अतुरक्षित रखेगा। पट्टेदार उक्त मी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करेगा।
- पट्टेदार प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनिट बार कोड को चैक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अन्वक्षण करेगा और उन्हे मही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भारीदार होगा।
- पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, में अधिक गहराई में खनन संक्रियाये नहीं करेगा।
- पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।
- जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- नदी की जल धारा से संरक्षण मशीन, निफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- यदि पट्टेदार द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र खनन योजना, लेटर आफ इन्टेन्ड आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतावे की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- खनन/परिवहन में जनघन की हाति की समस्त जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।
- मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई बार अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टेदार को मान्य होगा।
- पट्टेदार द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आवश्यक विभाग का टी0सी0एम0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) नियमानुसार जमा किया जायेगा।
- पट्टेदार को खनन क्षेत्र में पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- पट्टेदार को उन्नत प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 यथा संशोधित एवं समुगत शासनादेशों एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों को अथरथः पालन करना होगा।
- पट्टेदार स्वीकृत एवं चिन्हंकित खनन क्षेत्र से बाहर किसी भी दशा में खनन कार्य नहीं करेगा, साथ ही मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करेगा।
- पट्टेदार नियमावली 2021 के नियम-75 के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती त्रैमास के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय मसह में प्रपत्र एम0एम0-12 में जिलाधिकारी और निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने पर रु0 2,000.00 का शास्ति का भारीदार होगा तथा पट्टेदार की ऐसी चूक, खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।
- खनन कार्य करने के दौरान यदि कोई अन्य खनिज/उपखनिज प्राप्त होता है तो उसकी गुजना पट्टेदार तत्काल जिला कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (उ0प्र0) के क्षेत्रीय कार्यालय एवं निदेशालय को देगा।
- पट्टेदार को पट्टाकृत क्षेत्र में खनिज के समुचित विकास हेतु वैज्ञानिक उपाय से खनन कार्य करते हुए पर्यावरण की मुक्षा हेतु खनिज/उपखनिज का खनन व निकासी करने के उपरांत क्षेत्र का ममलतीकरण कर वहाँ वृद्धागेपण करना होगा।
- स्वीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।
- खनन पट्टा स्वीकृति के पश्चात् भविष्य में वन विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा शर्तों के विपरीत कार्य करने के कारण आपत्ति किये जाने पर उक्त नियमावली 2021 के नियम 61 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

35. पट्टेदार द्वारा खनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा। यदि खनिजों के परिवहन हेतु किसी काश्तकार की भूमि से होकर रास्ते का निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित काश्तकार की लिखित सहमति सम्बन्धी अभिलेख जिला क्वैरी कार्यालय, हमीरपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रास्ते के निर्माण में होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
36. खनन स्थल से निकाले गये खनिज पदार्थ का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।
37. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि के बाहर कोई अवैध खनन पाये जाने पर उक्त नियमावली 2021 के नियम 61 के अधीन पुनर्पुष्क अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।
38. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर किसी प्रतिबन्धित क्षेत्र (यदि कोई हो) में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन पाये जाने पर नियमानुसार खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
39. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर निजी भूमि होने की दशा में पट्टाधारक भूमि के स्वामी को नियम-68 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिफल का भूगतान करेगा।
40. 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-35 के अनुसार निदेशालय द्वारा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित शर्तों का पालन पट्टेदार को किया जाना आवश्यक होगा।
41. पट्टा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तर्गत किये जाने में पट्टाधारक को कोई आपत्ति नहीं होगी।
42. खनन पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य को बन्द करने के बाद, खनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र, जो कि खनन क्रियाकलाप से अस्तव्यस्त हो गये हैं उन क्षेत्रों में घास रोपण किया जायेगा तथा भूमि को पुनः ऐसी स्थिति में किया जायेगा, जो पेड़ पौधे व जीव जन्तु आदि के पतपणे के लिये उपयुक्त हो।
43. खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किये जाने उपरान्त जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित आंकड़ित उपखनिज की मात्रा व खनन स्थल की सीमाओं में किसी प्रकार की अन्वीकरण किये जाने की मांग स्वीकार नहीं की जायेगी।
44. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान रखते हुये अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जायेगी पट्टेदार को मान्य होगी।
- 45.

**//TRUE COPY//**

## कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1434- / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विधि (2024-25)

दिनांक- 27/12/2024

आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट)

मै0 बी0टी0 इन्फ्राहाईट प्रा0लि0,  
पता-महाराजपुर कानपुर नगर निदेशक श्रीमती मीनू गुप्ता  
पत्नी श्री आनन्द कुमार गुप्ता निवासी-महाराजपुर कानपुर नगर  
व श्री आनन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नरायण गुप्ता  
निवासी-महाराजपुर कानपुर नगर उ0प्र0।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2168/86-2019-57 (सामा0)/2017 दिनांक-09.10.2019 में उल्लिखित निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 वर्तमान में नियमावली-2021 के अध्याय-चार के अन्तर्गत 'ई-निविदा सह ई-नीलामी' के माध्यम से जनपद हमीरपुर के बालू/गौरम के क्षेत्रों को 05 वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति संख्या-1152/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विज्ञप्ति गौरम (2024-25) दिनांक-09.11.2024 जारी की गई थी। उपरिलिखित विज्ञप्ति दिनांक-09.11.2024 के क्रम में MSTC से प्राप्त आख्या दिनांक-24.12.2024 के अनुसार आप द्वारा जनपद की तहरील सरीला के ग्राम चन्दवारी दरिया में स्थित बालू/गौरम के क्षेत्र खण्ड संख्या-26/7 गाटा सं0-01, 11/1 में स्थित 29.930 हे0 पर खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु रुपये-617/- (शब्दों में रुपये छः सौ सत्रह मात्र) प्रति घन मी0 की दर से बोली दी है, जो सार्वधिक एवं सन्तोषजनक पाये जाने पर औपबन्धिक रूप से स्वीकार की जाती है। शासनादेश दिनांक-09.10.2019 के बिन्दु संख्या-19 के उप बिन्दु (2) में 'आशय पत्र' प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (जिसमें प्री विड अर्नेस्ट मनी समायोजित हो) जनपद हमीरपुर में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में आशय पत्र जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। प्री-विड अर्नेस्ट मनी की धनराशि MSTC द्वारा जनपद हमीरपुर के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।"

शर्तें-

- (1) क्षेत्र में आंकलित खनिज की मात्रा 5,38,740 घन मी0 पर आपके द्वारा दी गयी दर रू0-617/- प्रति घन मी0 के हिसाब से कुल रू0-33,24,02,580/-की धनराशि प्रथम वर्ष में देय होगी तथा आगामी वर्षों में प्रति वर्ष 10% की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ देय होगी।
- (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि 20 प्रतिशत दो कार्य

- दिवसों के अन्दर जमा करेगा। प्रस्तावक द्वारा बचाने की जमा धनराशि (अर्नेस्ट मनी) को प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
  - (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिसमें सीमा बिन्दुओं का जीओ-कोआर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा) तथा नियम-36 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।
  - (5) चयनित आवेदक नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स ब्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 संपठित अधिसूचना दिनांक-15.01.2016 तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
  - (6) पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय अश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
  - (7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि के जमा होने के प्रमाण पत्र सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त से अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (8) नियम-35 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया जाता है या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृत हेतु आवेदन नहीं किया जाता है, तो रु0-दस हजार प्रतिदिन की शारित के लिये दायी होगा। शारित की धनराशि जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्वन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से कटौती की जायेगी यदि प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करने में विफल हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट आशय पत्र निरस्त करने के पश्चात् प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी प्रथम किश्त और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
  - (9) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन सक्रियता तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।
  - (10) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
  - (11) यह कि प्रस्तुत अभिलेख कूटरचित पाये जाने की दशा में लेटर ऑफ इन्टेंट (सहमति पत्र) निरस्त कर दिया जायेगा और बचाने की धनराशि/अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
  - (12) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारक को मान्य होगा।

### अतिरिक्त शर्तें

1. पट्टा अगिलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई रथगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण शैली के कुशल कारीगर की भांति करेगा।
2. पट्टेदार नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकारी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टेदार उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित चार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टेदार उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
3. पट्टेदार प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित चार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शारित का भागीदार होगा।
4. पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
5. पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।
6. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
7. नदी की जल धारा से सेक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
9. यदि पट्टेदार द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र खनन योजना, लेटर आफ इंटेंट आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
10. खनन/परिवहन में जनधन की हानि की समस्त जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।
11. मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
12. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
13. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टेदार को मान्य होगा।

14. पट्टेदार द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0रसी0एस10, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) नियमानुसार जमा किया जायेगा।
15. पट्टेदार को खनन क्षेत्र में पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
16. पट्टेदार को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 यथा संशोधित एवं सुसंगत शासनादेशों एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों को अक्षरशः पालन करना होगा।
17. पट्टेदार रवीकृत एवं चिन्हांकित खनन क्षेत्र से बाहर किसी भी दशा में खनन कार्य नहीं करेगा, साथ ही मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करेगा।
18. पट्टेदार नियमावली 2021 के नियम-75 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती त्रैमास के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय साप्ताह में प्रपत्र एम0एम0-12 में जिलाधिकारी और निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने पर रू0 2,000.00 की शर्त का भागीदार होगा तथा पट्टेदार की ऐसी चूक, खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।
19. खनन कार्य करने के दौरान यदि कोई अन्य खनिज/उपखनिज प्राप्त होता है तो उसकी सूचना पट्टेदार तत्काल जिला कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (उ0प्र0) के क्षेत्रीय कार्यालय एवं निदेशालय को देगा।
20. पट्टेदार को पट्टाकृत क्षेत्र में खनिज के समुचित विकास हेतु वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु खनिज/उपखनिज का खनन व निकासी करने के उपरान्त क्षेत्र का समतलीकरण कर वहाँ वृक्षारोपण करना होगा।
21. रवीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।
22. खनन पट्टा रवीकृति के पश्चात भविष्य में वन विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा शर्तों के विपरीत कार्य करने के कारण आपत्ति किये जाने पर उक्त नियमावली 2021 के नियम 61 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।
23. पट्टेदार द्वारा खनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा। यदि खनिजों के परिवहन हेतु किसी काश्तकार की भूमि से होकर रास्ते का निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित काश्तकार की लिखित सहमति समन्वय अगिलेख जिला क्वैरी कार्यालय, हमीरपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रास्ते के निर्माण में होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
24. खनन स्थल से निकाले गये खनिज पदार्थ का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।
25. रवीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि के बाहर कोई अवैध खनन पाये जाने पर उक्त नियमावली 2021 के नियम 61 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।
26. रवीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर किसी प्रतिबन्धित क्षेत्र(यदि कोई हो) में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन पाये जाने पर नियमानुसार खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
27. रवीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर निजी भूमि होने की दशा में पट्टाधारक भूमि के स्वामी को नियम-68 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करेगा।

५

28. उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-35 के अनुसार निदेशालय द्वारा अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित शर्तों का पालन पट्टेदार को किया जाना आवश्यक होगा।
29. पट्टा सभाषित के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में पट्टाधारक को कोई आपत्ति नहीं होगी।
30. खनन पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य को बन्द करने के बाद, खनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र, जो कि खनन क्रियाकलाप से अस्तव्यस्त हो गये हैं उन क्षेत्रों में धारा रोपण (Regrassing) किया जायेगा तथा भूमि को पुनः ऐसी स्थिति में किया जायेगा, जो पेड़ पौधे व जीव जन्तु आदि के पनपने के लिये उपयुक्त हो।
31. खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किये जाने उपरान्त जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित आंकलित उपखनिज की मात्रा व खनन स्थल की सीमाओं में किसी प्रकार की अल्पीकरण किये जाने की मांग स्वीकार नहीं की जायेगी।
32. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान रखते हुये अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जायेगी पट्टेदार को मान्य होगा।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि खनन पट्टे के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के लिये देय धनराशि ₹ 33,24,02,580/- का 25% अर्थात् ₹ 8,31,00,645/- प्रतिभूति के रूप में तथा 20 प्रतिशत ₹ 6,64,80,516/- कुल धनराशि ₹ 14,95,81,161/- में से बचाने के रूप में जमा धनराशि ₹ 2,02,02,750/- समायोजित करते हुये शेष धनराशि ₹ 12,93,78,411/- को दो कार्य दिवस के अन्दर एम०एस०टी०सी० के ई-पेमेंट गेटवे पर आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० द्वारा जमा करें। यदि नियत अवधि में धनराशि जमा नहीं की जाती है तो बिना कोई नोटिस/अवसर दिये आपके द्वारा जमा की गयी बचाने की धनराशि ₹ 2,02,02,750/- को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये आशय पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आशय पत्र निरस्त होने के पश्चात् कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

  
 (घनश्याम मीना)  
 जिलाधिकारी  
 हमीरपुर

संख्या- / तददिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म उ०प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रवन्ध निदेशक, एम०एस०टी०सी० लि० द्वितीय तल सेन्टर कोर्ट बिल्डिंग 5, पार्क रोड हजरतगंज लखनऊ 226001

  
 जिलाधिकारी  
 हमीरपुर

**//TRUE COPY//**